

'प्ररूप-क
(देखिए नियम 4 (4) (I))

मतदाता सूची में नाम शामिल करने/किसी प्रविष्टि की शुद्धि के लिए या किसी दूसरे वार्ड में नाम रखने के लिए आवेदन		
सेवा में पुनरीक्षण प्राधिकारी, नगर परिषद्/नगर पालिकावार्ड संख्या..... या उपायुक्त.....		हाल ही में सर्वेक्षण पत्रिकाएं आकर का संख्या (1.05 से 1.06 X 3.05 सेटिंग) जिसमें इस वार्ड के वीचर पूरे क्षेत्रों में नामों की जासूदी स्पष्ट हो, दिखाने के लिए स्थान
महोदय, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त नगर परिषद्/नगर पालिका के लिए मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि की जाए या प्रविष्टि को अच्यत्र रखा जाए । मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अच्यत्र रखने के मेरे दावे के समर्थन में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं ।		
आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
1. कि मेरा नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रम संख्या भाग नं०..... में उल्लेख किया गया है, लेकिन नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है जो अब वार्ड नं०..... में शामिल किया जा सकता है। 2. कि मेरा नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रम संख्या भाग नं०..... में शामिल किया गया है और मेरा नाम नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूची के वार्ड संख्या में शामिल किया जाये। 3. कि मतदाता सूची में प्रविष्टि इस तरह सही किया जाए इस आधार पर कि ।		

4. कि मेरा नाम वार्ड नं० की बजाय वार्ड नं० में प्रविष्टि किया जाये।
5. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में मेरा विवरण वर्णित है, जैसे परन्तु नगर परिषद/नगर पालिका की मतदाता सूची में के रूप में यथा वर्णित है और इसे के रूप में सही करने के लिए अनुरोध है।
6. घोषणा: मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लेखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।
स्थान : दिनांक : दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान आवेदन का पूरा पता मोबाईल नं०

टिप्पण :- कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 13ग के अधीन दंडनीय होगा।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(नगर परिषद/नगर पालिका के पुनरीक्षण प्राधिकारी या उपायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती /कुमारी के मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अलग रखने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन को *स्वीकार कर लिया गया है/ *नामंजूर कर दिया गया है।

*स्वीकार करने या नामंजूर करने [हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम-4 के अधीन या उसके अनुसरण में] के लिए विस्तृत कारण:

स्थान : तारीख :	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)
--------------------	-----------------------------------	--------------------------------

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

क्षेत्र स्तरीय अधिकारी अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी की टिप्पणी

प्ररूप क में श्री/श्रीमती/कुमारी पता..... से आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज रजिस्टर की क्रम संख्या में प्रविष्टि किया गया है।
सुनवाई के लिये निश्चित तिथि तथा समय

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(कार्यालय के लिए पावती)

दावे तथा आपत्तियों की तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।

दिनांक :- दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्रार्थना पत्र की पावती तथा सुनवाई की तिथि से सम्बन्धित सूचना (भार्यी के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी जो नगर परिषद/पालिका का निवासी है, से प्ररूप क में आवेदन प्राप्त हुआ।

आवेदन में सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्थान में स्थित अपने कार्यालय में दिनांक को बजे की जायेगी। उसे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों/जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।

दिनांक :- पुनरीक्षण प्राधिकारी को ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर (पता)